17

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प– रीवा, (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक ...17/4140

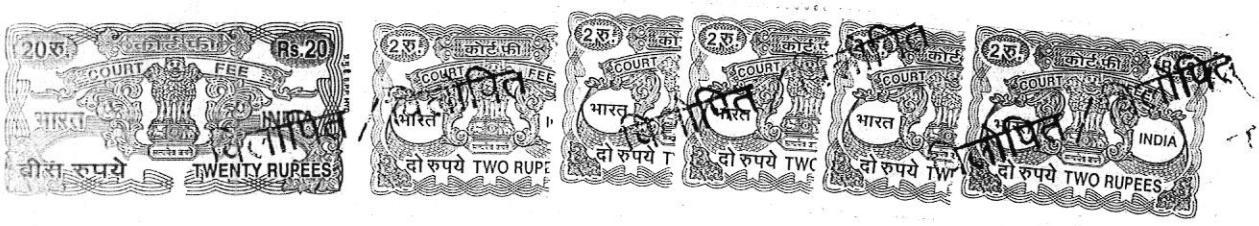

1. पारसनाथ तनय श्री सुखदेव प्रसासद ब्रा.
2. जनार्दन प्रसाद ब्रा0 श्री सुखदेव प्रसासद ब्रा. दोनो निवासी ग्राम पोंडी, तहसील देवसर जिला – सिंगरौली (म0प्र0) ———————— निगरानीकर्ता

बनाम

1. संतोष कुमार केवट तनय श्री विश्वनाथ केवट निवासी ग्राम दुधमनिया हाल मुकाम बरगवां, तहसील चितरंगी जिला – सिंगरौली (म0प्र0)
2. पुष्पादेवी पत्नी महेन्द्र प्रसाद ब्रा0 सभी निवासी सा0 अमहा तह0 गोपदबनास जिला सीधी (म0प्र0) ———————— गैरनिगरानीकर्ता

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश दिनांक 29.07.17 जो रा. प्र. क्र.15 / अपील / 07-08 को माननीय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं.1959

संक्षिप्त विवरण

गैरनिगरानीकर्ता ने तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.03.06 के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लगभग 2 वर्ष बाद अपील दायर की गई जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया कि गैरनिगरानीकर्ता को प्रकरण के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी व जानकारी होने के बाद गैरनिगरानीकर्ता ने म्यादि अधिनियम की धारा 5 के साथ अपील प्रस्तुत की है जिसे स्वीकार किया जाय। निगरानीकर्ता ने उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होते हुए गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत म्यादि अधिनियम के धारा 5 का आवेदनपत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया जिस जिस पर उपखण्ड अधिकारी ने बिना तथ्यों को जांचे परखे आदेश पारित किया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- तीन/निगरानी/2017/सिंगरौली/4140

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री विवेक शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक- 75/अपील/2007-08 में पारित आदेश दिनांक 29.07.17 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी द्वारा आदेश की जानकारी न होने के कारण आवेदक को अपीलाधीन आदेश की प्रतिलिपि के लिए करीब 3 माह तक भटकना पडा, जिससे अपील दायर करने में हुए विलंब को अनुविभागीय अधिकारी चितरंगी द्वारा धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुए, विलंब क्षमा किया गया है। प्रकरण दिनांक 08/08/17 तर्क के लिए नियत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलंब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की है, उनका आदेश दिनांक 29/07/17 उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। 3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक- 75/अपील/2007-08 में	

पारित आदेश दिनांक 29.07.17 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य